133

माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र. क्र. / /12 निगरानी — 2302-II/12

निशि पाण्डे पत्नि स्व. श्री बद्री प्रसाद पाण्डे
निवासी ग्राम भटहर मेघा तहसील देवेन्द्र
नगर जिला पन्ना .... प्रार्थिनी/आपत्तिकर्ता

श्री राजेन्द्र जैन, अभि. द्वारा 23-7-12 को प्रस्तुत
23-7-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1 गोविन्द पाण्डे पुत्र भगवानदास पाण्डे ....
प्रतिप्रार्थी/आवेदक

2 भगवानदास पाण्डे पुत्र स्व. श्री मुण्डे पाण्डे
निवासीगण ग्राम भटहर मेघा तहसील देवेन्द्र
नगर जिला पन्ना .... प्रतिप्रार्थी/अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 12/07/12 प्र. क्र. 22/अ–06/2011–12 न्यायालय तहसीलदार, तहसील देवेन्द्र नगर जिला पन्ना बउन्मान गोविन्द प्रसाद पाण्डे विरुद्ध भगवानदास पाण्डे

श्रीमान महोदय

प्रार्थिनी की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्यः–

1 यहकि अनावेदक क्र. 2 प्रार्थिनी का ससुर है तथा अनावेदक क्र. 1 प्रार्थिनी का जेठ है प्रार्थिनी के पति की मृत्यु वर्ष 2006 में हो चुकी है तभी से प्रार्थिनी विधवा होकर अपनी नाबालिग पुत्री के साथ जीवन यापन कर रही है तथा पति की मृत्यु के उपरांत से ही अपने ससुर व जेठ तथा परिवार के अन्य सदस्यों के दुर्व्यवहार का सामना कर रही है।

2 यहकि प्रार्थिनी के ददिया ससुर यानि प्रतिप्रार्थी क्र. 2 के पिता व प्रतिप्रार्थी क्र. 1 के बाबा मुण्डे पाण्डे मूल पुरुष थे जिनका सजरा खानदान (परिवार) निम्न प्रकार रहा है :– मुण्डे पाण्डे के दो पुत्र थे जिनमें भगवानदास व रामकिशुन थे

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2302-दो/2012 जिला पन्ना निशि विरूद्ध गोविन्द

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री विनोद भार्गव उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार देवेन्द्र नगर के प्रकरण क्रमांक 22/अ-6/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 12-07-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 23-07-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

7.1.19

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 7.1.19
सदस्य